राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफवी 23 मो./नो.अ./2015-16/ 4963

दिनांकः 14 दिसम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2367 दिनांक 16.02.16 से जारी आदेश में आवंटित जिलों को संशोधित कर, निम्नांकित अधिकारियों को जिलों में विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग /संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	जिला
1	डा. महेश कटारा	अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य)	जोधपुर
2	डा. भवानी सिंह राठौड	अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य)	सीकर
3	डा. एन.एम. सिंह	अतिरिक्त निदेशक (दवा प्रकोष्ठ)	बीकानेर
4	डा. आनन्द सेजरा	अतिरिक्त निदेशक (मॉनिटरिंग)	हनुमानगढ
5	डा. प्रदीप सारस्वत	अतिरिक्त निदेशक (फार्म एवं एस्टेट)	श्रीगंगानगर
6	डा. प्रकाश भाटी	अतिरिक्त निदेशक, जयपुर	कोटा
7	डा. हेम सिंह	संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग)	झालावाड
8	डा. जगत सिंह कांवत	संयुक्त निदेशक (एस.ए.)	जालौर
9	डा. पी.सी. सिंघल	संयुक्त निदेशक (योजना)	सवाई माधोपुर
10	डा. एच.आर. वर्मा	संयुक्त निदेशक (तकनीकी सलाहकार)	टोंक
11	डा. सज्जन कुमार मलिक	संयुक्त निदेशक (पशुधन सांख्यिकी)	बारां
12	डा. एस.के. अग्रवाल	संयुक्त निदेशक (गौशाला/प्रजनन)	पाली
13	डा. राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	उप निदेशक (योजना)	बाडमेर
14	डा. राजीव कुमार	उप निदेशक (जांच)	बूंदी
15	डा. विक्रम सिंह	उप निदेशक (आई.टी.)	चित्तौडगढ
16	डा. संजय वर्मा	उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य)	डूंगरपुर
17	डा. पी.सी. जैन	उप निदेशक (बादकरण)	जयपुर
18	डा. रावतमल जांगीड	उप निदेशक (सी.एस.एस.)	जैसलमेर
19	डा. गोपाल सिंह	उप निदेशक (निष्क्रमण)	धौलपुर
20	डा. जे.एस. सहगल	उप निदेशक (विस्तार)	अलवर
21	डा. उम्मेद सिंह	उप निदेशक (रोग नियंत्रण)	राजसमन्द
22	डा. के.पी. सिंह	उप निदेशक (आर.के.वी.वाई.)	उदयपुर
23	डा. ओ.पी. शर्मा	उप निदेशक (प्रशिक्षण)	करौली
24	डा. राजीव आनन्द	उप निदेशक (कुक्कुट)	बांसवाडा
25	डा. के.डी. नाथावत	विशेषाधिकारी	प्रतापगढ
26	डा. रमेश गोदारा	उप निदेशक (बैंक प्रोजेक्ट)	नागौर
27	डा. सुभाष वारी	उप निदेशक (पी.एफ.)	अजमेर
28	डा. अजय कुमार वार्ष्णेय	उप निदेशक (प्राक्कलन)	भीलवाडा
29	डा. रामावतार नाटाणी	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (प्रशिक्षण)	भरतपुर
30	डा. राजेश वर्मा	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विस्तार)	झुंझुनूं
31	डा. रमेश कुमार	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (योजना)	कुचामनसिटी
32	डा. संजय मामोडिया	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (उत्पादन)	सिरोही
33	डा. गौरव शर्मा	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (पी.एफ.)	चूरू
34	डा. आशीष सिंह	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (एपिडी.)	दौसा

जिले के भ्रमण के दौरान उस जिले की कम से कम 2 पशु चिकित्सा संस्थाओं (1 पशु चिकित्सालय एवं 1 पशु औषधालय/1 उपकेन्द्र) का निरीक्षण किया जावे। संबंधित जिले के प्रवास के दौरान निष्क्रमण चैकपोस्टों पर निष्क्रमण की स्थिति एवं व्यवस्थाओं आदि का जायजा लिया जावे।

जिन अधिकारियों हेतु निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य निर्धारित हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्तियां सुनिश्चित की जावे एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शासन से जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक रूप से रिपोर्टिंग की जावे अन्यथा संबंधित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवानिवृत होने की स्थिति में उस पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी के द्वारा ही प्राप्तियां सुनिश्चित की जावेंगी।

जिन अधिकारियों के निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम हेतु लक्ष्य निर्धारित हैं, वे अधिकारीगण आवंटित उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त संबंधित योजनाओं की प्रभावी क्रियन्विती एवं पर्यवेक्षण हेतु अन्य जिलों/संस्थाओं में भी भ्रमण कर सकेंगे।

अधिकारीगण आवंटित जिलों में विभागीय गतिविधियों की प्रभावी क्रियान्विती, गुणवत्तायुक्त सेवाओं की सुनिश्चितता एवं उपलब्धियों के प्रति उत्तरदायी होंगे। निदेशालय स्तर पर जिलों के लम्बित प्रकरणों तथा जिला स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग कर, उनका त्वरित निष्पादन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। दौरे के उपरान्त संक्षिप्त नोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे तथा आगामी निरीक्षण के दौरान उनकी अनुपालनाओं के संदर्भ में स्वयं द्वारा भी सत्यापन कर लिया जावे। अधिकारीगण दौरे से पूर्व प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत कर, अनुमति उपरान्त दौरे पर प्रस्थान करेंगे।

निदेशालय स्तर से नामित अधिकारियों द्वारा जिले के कार्यो का अवलोकन/मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग कार्य निर्धारित प्रपत्र में शासन सचिव महोदय, पशुपालन के निर्देशानुसार उनके प्रतिनिधि के रूप में किया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 से प्रभावी होगा।

(अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक
दिनांकः 14 दिसम्बर, 2016

क्रमांकः एफवी 23 मो./नो.अ./2015–16/ 4964-5134
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय पशुपालन, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर
4. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक, बी.पी. लैब, जयपुर
6. डा. प्रदीप सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक, जयपुर एवं नोडल अधिकारी (टाईम्स सिस्टम)
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, निदेशालय पशुपालन, जयपुर
8. संयुक्त निदेशक (गौशाला एवं प्रजनन/पशुधन सांख्यिकी), निदेशालय पशुपालन, जयपुर
9. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान
10. संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य पशुधन प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान, जामडोली, जयपुर
11. संयुक्त निदेशक, राज्य रोग निदान केन्द्र, पांचबत्ती, जयपुर
12. समस्त संबंधित उप निदेशक, निदेशालय पशुपालन, जयपुर
13. उप निदेशक (कुक्कुट/निष्क्रमण), निदेशालय पशुपालन, जयपुर
14. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी (नागौर)
15. समस्त संबंधित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर
16. श्री गजेन्द्र सिंह राव, प्रोग्रामर, निदेशालय पशुपालन एवं लिंक ऑफिसर, (टाईम्स सिस्टम), निदेशालय पशुपालन, जयपुर

(डा. आनन्द सेजरा)
अतिरिक्त निदेशक (मॉनिटरिंग)